



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267649
CG-DL-E-14112025-267649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/ कार्तिक 22, 1947

No. 759]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/ KARTIKA 22, 1947

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

सा.का.नि.845(अ).— डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22 वां) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड में चार सदस्य होंगे।

[फा.सं. AA-11038/1/2025- सी एल और ई एस]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2025

G.S.R. 845 (E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023), the Central Government hereby notifies that the Data Protection Board of India shall consist of four members.

[F. No. AA-11038/1/2025-CL&ES]

AJIT KUMAR, Jt. Secy.